

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक—प.5(5)मु./प्रशि./पी.सी.सी./स्था.आदेश/2026

दिनांक—ई हस्ताक्षर तिथि

स्थायी आदेश क्रमांक— 01 / 2026

कारागार विभाग में अधीनस्थ सेवा संवर्ग के समस्त पदों के पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम (PCC) में सम्मिलित होने वाले जेल कार्मिकः—

1. जो शारीरिक बीमारी अथवा किसी अन्य अक्षमता (incapacity) के कारण इन्डोर अथवा आउटडोर परीक्षा देने में समर्थ नहीं हैं, अथवा
2. जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या एक वर्ष से कम समय रह गया हो,

को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम (PCC) से शिथिलता दिए जाने हेतु निम्नानुसार प्रावधान किए जाते हैंः—

(i) राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के नियम—36 (III) के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु चयनित जेल अधीनस्थ सेवा संवर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम से निम्न अवस्थाओं में शिथिलता प्रदान की जाएगीः—

- (1) अधीनस्थ संवर्ग के वे कार्मिक जो शारीरिक बीमारी अथवा किसी अन्य अक्षमता के कारण इन्डोर अथवा आउटडोर परीक्षा देने में समर्थ नहीं हैं, अथवा
- (2) वे कार्मिक जो पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के दौरान इन्डोर अथवा आउटडोर परीक्षा देने में असमर्थ हो जाते हैं,

तो ऐसे जेल कार्मिकों को चयन सूची पर लेने के पश्चात् अथवा पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के दौरान असमर्थ होने की स्थिति में प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के माध्यम से महानिदेशक कारागार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त आंशिक अथवा पूर्ण शिथिलता प्रदान की जाएगी।

(ii) राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के नियम—36 (III) के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु चयनित समस्त रैंक के ऐसे जेल कार्मिकों को,

- (1) जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष अथवा उससे कम है, अथवा
- (2) जिनकी पदोन्नति हेतु चयन होने की तिथि को सेवानिवृत्ति दिनांक एक वर्ष अथवा एक वर्ष से कम हो,

उन्हें पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम से पूर्ण शिथिलता प्रदान करते हुए, पदोन्नति

महानिदेशक कारागार द्वारा दी जाएगी।

Signature valid

Digitally signed by Ashok Rathore
Designation: Director General
Date: 2026.05.06 12:31:58 IST
Reason: Approved

(अशोक राठौड़)
महानिदेशक, कारागार,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:—

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, कारागार, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
6. समस्त प्रभारी, कारागृह/सुधारगृह, राजस्थान।
7. प्रभारी, कन्ट्रोल रूम, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक, कारागार,
राजस्थान, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Ashok Rathore
Designation: Director General
Date: 2026.05.06 14:31:58 IST
Reason: Approved